क.

फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड एंड ओआरएस. v.

AMAZON.COM एन. वी. निवेश होल्डिंग्स एल. एल. सी. और ओ. आर. एस. (2022 की सिविल अपील संख्या 859-860)

15 फरवरी, 2022

[एन**.** वी**.** रमना**,** सीजेआई**,** ए**.** एस**.** बोपन्ना और हिमा कोहली**,** जे**.** जे**.]**

कम्पनी अधिनियम, 2013-ss.230 232 तक-एन. सी. एल. टी. के समक्ष कार्यवाही जारी रखना-एफ. आर. एल.-आर. जी. के बीच बिक्री लेनदेन से पीड़ित, प्रतिवादी ने सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (एस. आई. ए. सी.) के समक्ष एक मध्यस्थता कार्यवाही शुरू की-प्रतिवादी ने पक्षों के बीच मध्यस्थता समझौते के अनुसरण में नियुक्त एक आपातकालीन मध्यस्थ से एक निषेधाज्ञा आदेश प्राप्त किया, जिसके द्वारा एफ. आर. एल. को विभिन्न नियामक प्राधिकरणों के समक्ष कार्यवाही के खिलाफ निषेधाज्ञा सहित सौदे को मूर्त रूप देने के लिए कोई भी कदम उठाने से रोक दिया गया था-इस बीच, सी. सी. आई. और एस. ई. बी. ने अपीलकर्ता-एफ. आर. एल. द्वारा दायर मुकदमे के बाद प्रस्तावित समग्र योजना को मंजूरी दी-इसके बाद, अपीलकर्ता-एफ. आर. एल. ने एस. एस. के प्रावधानों के तहत व्यवस्था की समग्र योजना को मंजूरी दी।230 एन. सी. एल. टी. के समक्ष कंपनी अधिनियम के 232 तक और वही लंबित था-उच्चतम न्यायालय ने 2021 के एस. एल. पी. (सिविल) संख्या में एक अंतरिम आदेश द्वारा सभी प्राधिकरणों यानी एन. सी. एल. टी., सी. सी. आई. और एस. ई. बी. आई. को चार सप्ताह की अवधि के लिए कोई आदेश पारित नहीं करने का निर्देश दिया-उच्चतम न्यायालय के समक्ष 2022 के डब्ल्यू. पी. (सी) में, याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रस्तावित योजना की अंतिम मंजूरी देने के लिए एन. सी. एल. टी. की कार्यवाही जारी रखनी चाहिए क्योंकि अंतिम आदेश की परिणति में कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक सभी कदमों को पूरा करने में छह से आठ महीने लगेंगे-अब, तत्काल मामले में, यह प्रस्तुत किया गया था कि एफ. आर. एल. प्रतिदिन खर्च कर रहा है और दिवालिया होने का एक आसन्न खतरा है।विवाद की प्रकृति और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एन. सी. एल. टी. के समक्ष कार्यवाही अग्रिम चरण में है (अभिवचनों के अनुसार चरण क्रम संख्या 8 पर)

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

तथ्य यह है कि अपीलार्थी ने ऐसी कार्यवाहियों के संबंध में कुछ खर्च किए हैं, अपीलार्थी को क्रम संख्या में एन. सी. एल. टी. की कार्यवाहियों को चरण से परे जारी रखने के लिए एक आवेदन दायर करके उच्च न्यायालय का रुख करने की स्वतंत्रता दी जाती है।8.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2022 की सिविल अपील संख्या 859-860।

ओ. एम. पी. (ई. एन. एफ.) में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित 02.02.2021 और 18.03.2021 के निर्णय और आदेश से। (कॉम.) 2021 का सं. 17।

ग

सह

2022 की सिविल अपील संख्या 861-862,864 और 863।

हरीश साल्वे, मुकुल रोहतगी, के. वी. विश्वनाथन, गोपाल सुब्रमण्यम, रंजीत कुमार, अस्पी चिनॉय, गौरव बनर्जी, अमित सिब्बल, नकुल दीवान, वरिष्ठ अधिवक्ता।, अमित नाइक, राघव शंकर, अभिषेक काले, सुश्री मधु गडोडिया, हर्षवर्धन झा, श्रीमती युगांधरा पवार झा, पंकज पटेल, महेश अग्रवाल, ऋषि अग्रवाल, करण लूथरा, प्राणजीत भट्टाचार्या, ऋषभ पारेख, ई. सी. अग्रवाल, अशोक पाणिग्रही, सुश्री गीतांजलि, नवाब सिंह, नगरकट्टी कार्तिक उदय, रमेश बाबू एम. आर., सुश्री मनीषा सिंह, सुश्री निशा शर्मा, अधिवक्ता।उपस्थित दलों के लिए।न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:

डी.

ई.

आदेश

1. इससे पहले कि हम इस मुद्दे से निपटें, संक्षिप्त तथ्यों का वर्णन करना आवश्यक हो सकता है।फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफ. आर. एल.)-रिलायंस ग्रुप के बीच बिक्री लेनदेन से आहत होकर, अमेज़ॅन ने फ्यूचर कूपन प्राइवेट लिमिटेड के संदर्भ में सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर (एस. आई. ए. सी.) के समक्ष एक मध्यस्थता कार्यवाही शुरू की। (एफ. सी. पी. एल.)-अमेज़न समझौते।2. अमेज़ॅन ने एस. आई. ए. सी. मध्यस्थता अदालत के पंजीयक के साथ आपातकालीन राहत के लिए एक आवेदन दायर किया जिसमें एफ. आर. एल. और एफ. सी. पी. एल. को रिलायंस समूह के साथ उपरोक्त लेनदेन में आगे कदम उठाने से रोकने के लिए अंतरिम निषेधाज्ञा की मांग की गई।समानांतर रूप से, एफ. आर. एल. ने परिसंपत्तियों की बिक्री की योजना में यातनापूर्ण हस्तक्षेप के लिए अमेजन के खिलाफ 2020 के सी. एस. (सी. ओ. एम. एम.) संख्या 493 में दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक मुकदमा दायर किया।3. आपातकालीन मध्यस्थ ने दिनांक 25.10.2020 के आदेश द्वारा एफ. आर. एल. को सौदे को मूर्त रूप देने के लिए कोई भी कदम उठाने से रोक दिया, जिसमें निषेधाज्ञा ए भी शामिल है।

च

जी.

एच.

295

फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड एंड ओआरएस. v.

AMAZON.COM एन. वी. निवेश होल्डिंग्स एल. एल. सी. और ओ. आर. एस.

विभिन्न विनियामक प्राधिकरणों के समक्ष कार्यवाही के विरुद्ध।हालांकि, दिल्ली उच्च न्यायालय दिनांक 1 के आदेश से इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि नियामक अधिकारियों को मंजूरी देने से पहले एफआरएल और अमेजन दोनों के प्रतिनिधित्व पर विचार करते हुए उचित आदेश पारित करने थे।4. इस बीच, सी. सी. आई. और एस. ई. बी. आई. ने एफ. आर. एल. मुकदमा दायर करने के बाद योजना को मंजूरी दी।इसके अलावा, एफ. आर. एल. ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एन. सी. एल. टी.) के समक्ष 26.01.2021 पर विचार के लिए व्यवस्था की समग्र योजना की मंजूरी दायर की, जो लंबित है।

5. अमेजन ने ओ. एम. पी. (ई. एन. एफ.) (सी. ओ. एम. एम.) में 25.01.2021 पर दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष आपातकालीन मध्यस्थ पुरस्कार को लागू करने के लिए एक याचिका दायर की। 2021 का No.17।02.02.2021 और 18.03.2021 दिनांकित आदेशों के माध्यम से, दिल्ली उच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ आपातकालीन आदेश को लागू करने के आदेश पारित किए।

ग

6. जब मामला अमेज़ॅन द्वारा 2021 के एसएलपी (सी) नंबर 2856-57 में इस अदालत में लाया गया था, तो दिनांक 22.02.2021 के आदेश के माध्यम से, इस अदालत ने एनसीएलटी की कार्यवाही को योजना की मंजूरी के अंतिम आदेश में समाप्त किए बिना जारी रखने की अनुमति दी।

डी.

7. हालाँकि, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, इस न्यायालय ने दिनांक 1 के अंतिम आदेश द्वारा मामले के गुण-दोष पर निर्णय नहीं दिया और अपने तर्क को केवल एक प्रवर्तन कार्यवाही में विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ पहली अपील की स्थिरता से संबंधित कानूनी प्रश्नों के उत्तर देने तक सीमित कर दिया।

ई.

8. विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 02.02.2021 और 18.03.2021 के आदेशों के गुणागुण से व्यथित होकर, एफ. सी. पी. एल. और एफ. आर. एल. ने क्रमशः 2021 के एस. एल. पी. (सी) संख्या. 13547-48 और 2021 के एस. एल. पी. (सी) संख्या. 13556-57 में सीधे इस न्यायालय के समक्ष अपील दायर की।इस अदालत ने दिनांक 09.09.2021 के अंतरिम आदेश द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित कियाः

च

"पक्षों के विद्वान वरिष्ठ वकील को विस्तार से सुना और रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया।

नोटिस जारी करें।

जी.

पक्षों के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए और विशेष रूप से इस तथ्य पर कि पक्षों ने आपातकालीन मध्यस्थ द्वारा पारित आपातकालीन पुरस्कार को खाली करने के लिए सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र से संपर्क किया है और

एच.

क.

उक्त मामले में दलीलें पूरी कर ली गई हैं और आदेश जल्द ही घोषित होने वाला है, हमें लगता है कि यह उचित है

दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष आगे की सभी कार्यवाही पर कुछ समय के लिए रोक लगाकर दोनों पक्षों के हितों को संतुलित करना।

तदनुसार आदेश दिया।हम सभी प्राधिकरणों यानी एन. सी. एल. टी., सी. सी. आई. और एस. ई. बी. आई. को आज से चार सप्ताह की अवधि के लिए कोई अंतिम आदेश पारित नहीं करने का निर्देश देते हैं।यह आदेश दोनों पक्षों की सहमति से पारित किया गया है।

चार सप्ताह के बाद इन मामलों को सूचीबद्ध करें।"

(जोर दिया गया)

ग

9. इसके बाद, एफ. आर. एल. और एफ. सी. पी. एल. द्वारा आपातकालीन मध्यस्थ के पुरस्कार को खाली करने के लिए दायर आवेदनों को मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 1 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।खाली करने के आवेदन को खारिज करते हुए मध्यस्थ न्यायाधिकरण के उपरोक्त आदेश को एफ. सी. पी. एल. और एफ. आर. एल. ने अरब में दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी थी। पेट। 2021 का संख्या 63 और अरब। पेट। 2021 का सं. 64।दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 1 के आदेश द्वारा दोनों मामलों में नोटिस जारी करते हुए एफ. आर. एल. को तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया। उपरोक्त आदेशों से व्यथित होकर, एफ. सी. पी. एल. और एफ. आर. एल. ने क्रमशः 2021 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 18089 और 18080 में इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

डी.

10. इस न्यायालय ने दिनांक 01.02.2022 के एक विस्तृत आदेश द्वारा 2021 के SLP (C) संख्या 13547-13548,13556-13557,18089 और 18080 में निम्नलिखित आदेश पारित कियाः

ई.

"छुट्टी दे दी गई।**.....**

च

" I. ओ. एम. पी. (ई. एन. एफ.) (कम.) में दिनांकित 02.02.2021 (पहला आक्षेपित आदेश) और 18.03.2021 (दूसरा आक्षेपित आदेश) के आक्षेपित आदेशों को अलग करना। 2021 का सं. 17।

II. अरब में दिनांकित 29.10.2021 के तीसरे आक्षेपित आदेश को अलग करना। ए. (कॉम.) 2021 का सं. 64 और 63। विद्वान एकल न्यायाधीश मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा और इसमें किए गए किसी भी अवलोकन से अप्रभावित, अपने गुण-दोष पर उचित आदेश पारित करेगा।"

जी.

इन मामलों की दलीलों के समय**,** अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील ने ए के दौरान एन**.** सी**.** एल**.** टी**.** के समक्ष कार्यवाही जारी रखने के लिए जोरदार तर्क दिया।

एच.

297

फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड एंड ओआरएस. v.

AMAZON.COM एन. वी. निवेश होल्डिंग्स एल. एल. सी. और ओ. आर. एस.

उपरोक्त प्रतिप्रेषित मामलों की विचाराधीनता।इन मामलों को सुरक्षित रखने के बाद**,** डब्ल्यू**.** पी**. (**ग**) 2022** का सं**. 48** फ्यूचर रिटेल लिमिटेड द्वारा दायर किया गया था और इसका उल्लेख इस पीठ के समक्ष **27.01.2022** पर किया गया था। हमारी राय है कि रिट याचिका में दिए गए तथ्यों और दलीलों का उपरोक्त राहत पर असर पड़ सकता है।इसलिए हम इस संदर्भ में अपने आदेशों को स्थगित करना उचित समझते हैं।हम उपरोक्त रिट याचिका की सुनवाई के समय इस राहत पर विचार करेंगे।इन मामलों को डब्ल्यू**.** पी**.** के साथ पोस्ट करें। **(**ग**) 2022** की सं**. 48**।इस फैसले की घोषणा के बाद**,** अपीलार्थी के वरिष्ठ वकील श्री हरीश साल्वे ने इन सभी मामलों को एक पीठ के समक्ष रखने की मांग की।की गई प्रार्थना को ध्यान में रखते हुए**,** हम दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से इन सभी मामलों को एक पीठ के समक्ष रखने का अनुरोध करते हैं।**"**

ग

11. 03.02.2022 पर, जब मामला W. P. के साथ लिया गया था। (ग) 2022 का 48, याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री हरीश साल्वे ने प्रस्तुत किया कि प्रस्तावित योजना की अंतिम मंजूरी देने के लिए एन. सी. एल. टी. की कार्यवाही जारी रखनी चाहिए क्योंकि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक सभी कदमों को पूरा करने के लिए अंतिम आदेश में छह से आठ महीने लगेंगे।उन्होंने हमें 09.01.2022 पर दायर लिखित प्रस्तुतियों के बारे में बताया, जिसमें निम्नलिखित चरणों को सूचीबद्ध किया गया थाः

डी.

ई.

च

जी.

एच.

क.

ग

डी.

श्री साल्वे ने कहा कि ऊपर बताए गए सभी पंद्रह चरणों को पूरा करने में छह से आठ महीने लगेंगे।अंत में उन्होंने कहा कि जब एन. सी. एल. टी. द्वारा अंतिम योजना को मंजूरी दी जाएगी तभी एफ. आर. एल. की खुदरा परिसंपत्तियों का हस्तांतरण होगा। जब तक मंजूरी का अंतिम आदेश एन. सी. एल. टी. द्वारा पारित नहीं किया जाता है, तब तक अमेज़ॅन किसी भी तरह से पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं है।12. एफ. सी. पी. एल. की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री मुकुल रोहतगी ने कहा कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने प्रारंभिक अमेज़न-एफ. सी. पी. एल. शेयर खरीद को रद्द कर दिया है, जो प्रभावी रूप से मध्यस्थता को रद्द कर देता है।वह प्रस्तुत करता है कि इन तथ्यों का कार्यवाही की निरंतरता पर असर पड़ता है जिसे विचार का एक हिस्सा बनाने की आवश्यकता है।तदनुसार, वह प्रस्तुत करता है कि वह रिमांड में उच्च न्यायालय के समक्ष उपरोक्त विचार पर बहस करने के लिए तैयार है।

ई.

च

जी.

13. इसके विपरीत, अमेज़न की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री गोपाल सुब्रमण्यम ने कहा कि अब तक एफ. आर. एल. ने आपातकालीन मध्यस्थ के आदेश के साथ-साथ दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा ओ. एम. पी. (ई. एन. एफ.) (कम) नं.

एच.

299

फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड एंड ओआरएस. v.

AMAZON.COM एन. वी. निवेश होल्डिंग्स एल. एल. सी. और ओ. आर. एस.

क.

17 2021 से।उन्होंने कहा कि इस अदालत के दिनांक 01.02.2022 के आदेश ने स्पष्ट रूप से मामले को उच्च न्यायालय द्वारा पुनर्विचार के लिए भेज दिया है।यदि यह न्यायालय कोई अंतरिम राहत देता है, तो यह न्यायालय इसके बाद लिए जाने वाले संभावित दृष्टिकोण के बारे में उच्च न्यायालय को बाध्य करेगा।14. अमेज़न की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री अस्पी चिनॉय ने कहा कि एफ. आर. एल. और एफ. सी. पी. एल. किसी भी अंतरिम राहत के हकदार नहीं हैं क्योंकि उन्होंने आपातकालीन मध्यस्थ के प्रारंभिक आदेश को चुनौती नहीं दी है, जो उन पर बाध्यकारी है।अंत में, श्री रंजीत कुमार, एमेजॉन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील, प्रस्तुत करते हैं कि एफआरएल ने ऊपर सूचीबद्ध पंद्रह चरणों में से आठ को पूरा करने का काम पहले ही शुरू कर दिया है।15. एफ. आर. एल. की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री हरीश साल्वे ने भी उपरोक्त निवेदन स्वीकार किया है कि एन. सी. एल. टी. के समक्ष कार्यवाही क्रम संख्या में सूचीबद्ध चरण तक पहुंच गई है। 8 (शेयरधारकों और लेनदारों की बैठक) जैसा कि उपर्युक्त चार्ट में दर्शाया गया है।उन्होंने आगे तर्क दिया कि पूरी प्रक्रिया को पूरा करने और एन. सी. एल. टी. द्वारा योजना को वास्तविक मंजूरी देने में 6 से 8 महीने लगेंगे। इस संदर्भ में, यदि मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा एफ. आर. एल. के पक्ष में कोई आदेश पारित किया जाता है, तो उस स्तर पर एन. सी. एल. टी. के समक्ष नई कार्यवाही शुरू करना मुश्किल होगा।यह उनका निवेदन है कि एफ. आर. एल. हर दिन खर्च कर रहा है और दिवालिया होने का एक आसन्न खतरा है।एन. सी. एल. टी. के समक्ष कार्यवाही में किसी भी देरी के गंभीर परिणाम होंगे और वस्तुतः एफ. आर. एल.-रिलायंस समूह के बीच समझौता निरर्थक हो जाएगा।इसके अलावा, एफ. आर. एल. के 22,000 कर्मचारियों की आजीविका भी दांव पर है।उसी सांस में, उन्होंने प्रस्तुत किया है कि एन. सी. एल. टी. की कार्यवाही जारी रहने से किसी भी तरह से अमेज़न पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ग

डी.

ई.

16. उपरोक्त प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, हम एफ. आर. एल. को 8 वें चरण (शेयरधारकों और लेनदारों की बैठक) से परे एन. सी. एल. टी. की कार्यवाही को जारी रखने के लिए एक आवेदन दायर करके उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं।तदनुसार, हम दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश से अनुरोध करते हैं कि वे इस संबंध में दोनों पक्षों द्वारा उठाई गई सभी दलीलों पर विचार करें और क्रम संख्या में उल्लिखित चरण से परे एन. सी. एल. टी. की कार्यवाही को जारी रखने के लिए उचित आदेश पारित करें। 8 और अन्य विनियामक अनुमोदन शीघ्रता से, यहाँ की गई किसी भी टिप्पणी से अप्रभावित।17. दीवानी अपीलों का निपटारा उपरोक्त आदेश के संदर्भ में किया जाता है।

च

जी.

अंकित ज्ञान

अपीलों का निपटारा किया गया।

(सहायकः महेंद्र यादव, एलसीआरए)

एच.